कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 03/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
जय प्रकाश हरवानी **मकान नं0 जे–157, पार्श्वनाथ** **सिटी, सांगरिया पाल बाईपास** **रोड़, जिला जोधपुर–342013**		**लोक सूचना अधिकारी** **अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,** **जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 25 .08.2023

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 के द्वारा नागरिकों के लिए बेहतर और जवाबदेही सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु बिन्दुवार 1 से 15 की सूचनाएं चाही गई, जिसमें मुख्यंतः महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति, नागरिक अधिकार पत्र बनाने संबंधी कार्यवाही/जानकारियां, आरटीआई एक्ट की धारा 2 तथा 4 के प्रदर्शन का प्रमाण, नागरिक चार्ट व राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2011–12 से भिन्नता के प्रमाण आदि की सूचना चाही गई थी। उक्त कम में लोक सूचना अधिकारी के प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 11.8.23, 18.8.23 व 24.8.23 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।

कार्यालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थी–जय प्रकाश हरवानी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 के संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 03/2023 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अंभिभाषण, बिना तारीख व विवरण के बैठक, बैठक कार्यवाही विवरण, सचिवालय के नागरिक चार्टर की प्रति वगैरा व प्रश्नात्मक सूचनाएं चाही गई थी। उक्त सूचनाएं इस कार्यालय द्वारा धारित नही होने से आवेदक को निर्धारित समयावधि में जरिये पत्र क्रमांकः एडीसी/सू.अ./56/2023/98 दिनांक 23.6.23 यह सूचित किया गया :–

(I) आप द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) में परिभाषित शब्द की सूचना की श्रेणी में नही आता है।

(II) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदकं द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है।

(III) उक्त सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होने से मूल आवेदन मय राशि के लौटाया गया।

अतः प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी–अपीलार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 के संदर्भ में जरिये पत्र क्रमांकः 98 दिनांक 23.6.23 द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रार्थी का आवेदन लौटाते हुए, यथा सूचित कर दिया गया है।

8. प्रार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 के बिन्दु सं0 10 व 14 में उल्लेखित कथनों के संदर्भ में प्रार्थी को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के प्रपत्र 2 का सूचना पट्ट इस कार्यालय के दर्शनीय स्थान पर आम नागरिकों की जानकारी हेतु प्रदर्शित है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

9. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में यह निवेदन किया कि उसे सुनवाई का मौका दिया जावे। उक्त क्रम में उसे जारी पत्र क्रमांकः कोर्ट/डीसी/सूचना अपील/23/351 दिनांक 4.8.23 द्वारा प्रथम अवसर दिनांक 11.8.23 को दिया गया। तत्पश्चात पत्रावली 18.8.23 व 24.8.23 को सुनवाई हेतु तारीख पेशी पर रखी, परंतु उक्त तिथियों पर अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण, प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है।

10. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

24/08/2023

(भंवर लाल मेहरा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर